13-7-2024

आज सह आवर्त RTI रतिराम

पौधैं पित एकमात्र द्वारा हनुमान

राजीनामा पेश किये जाने पर रूपलाल

F.D.

[signature]

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

(अप

दिनांक हुक्म	
13.07.2024	तलब होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुए वादी पहचान उनके वकील श्री जगन्नाथ यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादी पहचान उनके वकील श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट द्वारा की गई राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो। सुनाया गया।

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

फर्द अहकाम
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या–16
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश मुण्डावर, जिला अलवर)

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस प्र.स. 05/2021 रतीराम हनुमान (दावा)	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2024	यह प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष रखा गया। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत	

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलैक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मदनसिंह

दावा संख्या	**रजू दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
05 / 2021	**13.01.2021**	**13.07.2024**

// उनवान //

1. रतीराम पुत्र श्री चिरंजी उम्र करीब 70 साल जाति अहीर निवासी तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री खेमचन्द उम्र करीब 55 साल
2. रूपलाल पुत्र श्री खेमचन्द उम्र करीब 45 साल जातियान अहीर निवासीयान तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान ।
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 89. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री जगन्नाथ यादव वकील वादी
श्री विष्णु यादव वकील प्रतिवादी

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

// निर्णय //

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष रखा गया जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार से है कि –यह है कि आराजी ख० नं० हाल 732/26 रकबा 1.05 हैक्०, 895/153 रकबा 0.23 हैक्0, 158 रकबा 0.28 हैक्०, वाके ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसमें ख० नं0 732/26 मिन 1.05 हैक्०. व 158 मिन 0.28 हैक्0, का 1/2 भाग इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी ख० नं0 732/26 मिन रकबा 1.05 हैक्0. 895/153 रकबा 0.23 हैक्0, 158 रकबा 0.28 हैक्०, में मिन वादी का 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का रहा है, मौके पर आज भी आराजी ख० नं0 26 व 158 का 1/2 भाग पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी ख० नं० 153 रकबा 0.23 हैक्0, का 1/2 भाग मिन वादी ने प्रतिवादी सं० 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24/12/2001 पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 196 पृष्ठ सं0 113 कम सं0 2149 के जरिये बेचान किया था जिसका इंतकाल सं० 605 दर्ज होकर मंजूर हुवा था परन्तू पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल का नोट लगाते समय ख० नं0 153 न लिखकर रतीराम पुत्र चिरंजी 1/2 भाग के बजाय हनुमान, रूपलाल पुत्रान खेमचन्द गलत दर्ज कर दिया जबकि बेचान ख० नं0 153 के 1/2 भाग का हुवा था इंतकाल भी इसी ख० नं० का दर्ज व मंजूर हुवा था परन्तू पटवारी हल्का ने गलत रूप से अंकन सम्पूर्ण खाते के कर दिया जो काबिल दुरूस्त है। डिकी ईश्तकरारहक इस कदर जारी की जावे कि विवादित आराजी ख० नं0 732/26 रकबा 1.05 हैक्०, व ख० नं० 158 रकबा 0.28 हैक्०, वाके ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर में प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के नाम का अंकन हटाकर वादी को खातेदार घोषित करने के आदेश दिये जाकर वादी को उक्त ख० नं0 में 1/2 भाग का खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 मे पक्षकारान उपस्थित आये समझाया गया जिसमे दोनो पक्षकारा ने अपनी अपनी सहमति स्वरुप लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जगन्नाथ यादव एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री विष्णु यादव द्वारा की गई। राजीनामा लोक अदालत मे पढकर सुनाया गया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

वादी ने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी संवत 2051, नकल जमाबन्दी संवत 2055 नकल जमाबन्दी संवत 2061 इंतकाल सं0 705 , नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 पेश की गई। जिसमे संवत 2071 – 74 की जमाबन्दी मे देशराज , हंसराज पुत्रान रामचन्द्र संभाग 1/2 हनुमान , रुपलाल पुत्रान खेमचन्द 1/2 अहिर सा0 देह खातेदार दर्ज है।

उभयपक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 732/26 रकबा 1.05 है. व खसरा नम्बर 158 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम तिनकीरुढी से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम हजफ कर उसकी जगह वादी को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

– आदेश –

अतः वाद वादी उभयपक्षकारान की सहमति से डिक्री किया जाता है। अतः वादी का वाद उभयपक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 732/26 रकबा 1.05 है. व खसरा नम्बर 158 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम तिनकीरुढी से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम हजफ कर उसकी जगह वादी के नाम का अंकन किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 13.07.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(मदनसिंह)
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प मुण्डावर

तहसीलदार
मुण्डावर

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलैक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मदनसिंह

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2021	13.01.2021	13.07.2024

// उनवान //

1. रतीराम पुत्र श्री चिरंजी उम्र करीब 70 साल जाति अहीर निवासी तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री खेमचन्द उम्र करीब 55 साल
2. रूपलाल पुत्र श्री खेमचन्द उम्र करीब 45 साल जातियान अहीर निवासीयान तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान ।
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 89. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री जगन्नाथ यादव वकील वादी
श्री विष्णु यादव वकील प्रतिवादी

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

—: पर्चा डिकी : —

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष रखा गया जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया । अतः वादी का वाद उभयपक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार आराजी . हाल खसरा नम्बर 732/26 रकबा 1.05 है. व खसरा नम्बर 158 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम तिनकीरुडी से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम हजफ कर उसकी जगह वादी के नाम का अंकन किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 13.07.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(मदनसिंह)
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प मुण्डावर

तहसीलदार
मुण्डावर